REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102020-222774 CG-DL-E-27102020-222774

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2020/कार्तिक 5, 1942 No. 552] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2020/KARTIKA 5, 1942

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 676(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों को अंतर्विष्ट करने वाला प्रारुप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 466 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2020 द्वारा उन सभी व्यक्तियों, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस तारीख जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 27 जुलाई, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से केंद्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई सुझाव या आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:----

 संक्षिप्त शीर्ष और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) संशोधन नियमावली, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

 कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 56-क में, "पाँच हजार रूपये" शब्दों के स्थान पर "सात हजार पाँच सौ रूपये" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. एस-65012/01/2020-एसएस-I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत का राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 212, तारीख 22 जून, 1950 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 555(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2020 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

G.S.R. 676(E)..—Whereas, a draft containing certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 466(E), dated the 27th July, 2020 as required under sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was published were made available to public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 27th July, 2020;

And whereas, no objection or suggestion has been received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above for consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:—

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in the rule 56-A, for the words "rupees five thousand", the words "rupees seven thousand five hundred" shall be substituted.

[F. No. S-65012/01/2020-SS-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Part II, Section 3, Sub-section(i) *vide* notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and amended *vide* notification number G.S.R. 555(E), dated the 14th September, 2020.